भंवरलाल वगैरा बनाम सरकार
प्रकरण संख्या : 108/2019
निर्णय दिनांक : 31.07.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–108 / 2019 दर्ज तिथि:05.07.2019

1. श्री भंवरलाल पिता रामलाल चारण आयु वयरक निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़
2. श्री नारायणलाल पिता रामलाल चारण आयु वयरक निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़
3. श्री लालचंद पिता रामलाल चारण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़
4. श्री राजेश पिता रामलाल चारण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौडगढ
5. श्री जगदीश पिता रामलाल चारण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़
6. श्री मुकेश पिता रामलाल चारण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौडगढ
7. जानी पिता रामलाल चारण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़
8. श्रीमती धापु पत्नि रामलाल चारण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़

...............अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:32 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि : 31.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगणों की मौजा टीलाखेडा पटवार हल्का, अरनिया जोशी तहसील, निम्बाहेड़ा में आराजी नम्बर 130 रकबा 0.06 हैक्टेयर स्थित है, जिसके पुराने आराजी नम्बर 430 / 56 रकबा 5 बिस्वा थे। उक्त भूमि के पडोस पूर्व में सरकारी जमीन, पश्चिम में सुरेश प्रकाश जाट की आराजी उत्तर में आम रास्ता दक्षिण में स्वयं प्रार्थीगण की अन्य आराजियात स्थित है। पूर्व साबिक आराजी नम्बर 430 / 56 रकबा 5 बिस्वा भूमि के उत्तर दिशा का भाग बिलानाम रास्ता से लगी हुई है किन्तु अधिकारियों द्वारा अपनी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

मनमर्जी से व अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी हक अधिकार के गलत तरीके से नवीन राजस्व नक्शें में गलत रूप से तरमीम कर दी गई, मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम नहीं कर राजस्व कर्मचारियों की गलती से नवीन आराजी नम्बर 130 की तरमीम बिलानाम रास्ते से लगी हुई को हटाकर राजस्व नक्शें मे गलत रूप से अन्य जगह तरमीम कर दी हैं। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त वर्तमान सेटलमेन्ट में आराजी नम्बर 130 रकबा 0.06 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नम्बर 430/46 रकबा 5 बिस्वा भूमि का नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व नक्शे अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त कर नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का अनुरोध/निवेदन किया किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगणों की नवीन आराजी नम्बर 130 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि की तरमीम साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया गया।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

4. इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत प्रार्थना-पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:32 IST
Reason: SelfAttested

5. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की ब[illegible] पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन कि[illegible] तहसीलदार [illegible]बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया [illegible] रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थीगण के कथन अनुसार प्रार्थी[illegible]जा टीलाखेडा में स्थित खातेदारी आराजी नम्बर 130 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है, जो गत आराजी नम्बर 430/56 रकबा 5 बिस्वा के नये नम्बर है। गत आराजी नम्बर 68 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 154 रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। गत आराजी नम्बर 430/56 रकबा 5 बिस्वा भूमि आराजी नम्बर 68 के उत्तर की ओर साबिक आराजी नम्बर 68 से लगी हुई तरमीम की गई थी जो सही है, जिसके नये आराजी नम्बर 130 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि को अन्यत्र

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

तरमीम कर दी गई है। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपनी रिपोर्ट में वर्तमान आराजी नम्बर 130 को निम्नानुसार शुद्धि किया जाना प्रस्तावित किया है :

वर्तमान प्रविष्ठि			नवीन प्रस्तावित प्रविष्ठि		
खातेदार का नाम			खातेदार का नाम		
श्री भंवरलाल, नारायणलाल, लालचन्द, राजेश, जगदीश, मुकेश, जानी पिता रामलाल चारण सा. अरनियाजोशी			श्री भंवरलाल, नारायणलाल, लालचन्द, राजेश, जगदीश, मुकेश, जानी पिता रामलाल चारण सा. अरनियाजोशी		
आराजी नम्बर	रकबा	लगान	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
130	0.06	0.30	141	0.06	0.30
योग 1	**0.06**	**0.30**	**योग 1**	**0.06**	**0.30**
बिलानाम सरकार			बिलानाम सरकार		
आराजी नम्बर	रकबा	लगान	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
132	2.24	–	132	2.24	–
141	0.70	–	141	0.64	–
200	0.06	–	130	0.06	–
–	–	–	200	0.06	–
योग 3	2.99	–	योग 4	2.99	

इस प्रकार तहसीलदार ने बिलानाम आराजी नम्बर 141 में से 0.06 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगणों के नाम दर्ज करने एवं प्रार्थीगणों के नाम दर्ज आराजी नम्बर 130 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम दर्ज करने की अनुशंषा की है। साथ ही प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

पत्रावली में संलग्न साबिक नक्शे का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा साबिक आराजी नम्बर 430/56 की तरमीम रंग द्वारा दर्शाई गई होकर ये साबिक आराजी नम्बर 68 के उत्तरी दिशा में है। साबिक आराजी नम्बर 68 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर 154 होकर इस आराजी नम्बर की उत्तरी दिशा में स्थित वर्तमान बिलानाम आराजी नम्बर 141 में से 0.06 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगणों के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने तरमीम नक्शा संलग्न करते हुए अनुशंषा की है। प्रार्थीगणों की हाल आराजी नम्बर 130 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि की तरमीम प्रार्थीगणों की अन्य खातेदारी आराजी नम्बर 154 के उत्तरी दिशा में करने के बजाय आराजी नम्बर 154 से लगभग 500 मीटर दूर तरमीम कर दी गई है। अतः तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की अनुशंषा एवं पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन नक्शे के अवलोकन उपरांत प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत [illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकार्ड से [illegible] होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम [illegible], पटवार हल्का अरनिया जोशी की बिलानाम आ.नं. 141 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगणों की आराजी नम्बर 154 के उत्तरी दिशा में तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित अनुसार तरमीम कर प्रार्थीगणों श्री भंवरलाल, नारायणलाल, लालचंद, राजेश, जगदीश, मुकेश, जानी पिता रामलाल,

धापु पत्नि रामलाल चारण निवासी अरनिया जोशी के नाम दर्ज करने एवं प्रार्थीगणों के नाम दर्ज आराजी नम्बर 130 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेश की पालना करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

31/7/23

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:32 IST
Reason: SelfAttested